# भारत का संविधान
(Indian Constitution)

**Paras Jain**
**Chitrakoot**

1. भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ।
2. इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ जोकि जुलाई 1946 में केबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत गठित की गई थी।
3. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी।
4. प्रथम बैठक की अद्यक्षता डॉ सच्चिदानन्द सिन्हा (अस्थाई अद्यक्ष) ने की थी।
5. संविधान सभा के स्थायी अद्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे, जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए।
6. प्रारूप समिति के अद्यक्ष डॉ भीमराव अम्बेडकर थे।
7. भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
8. 26 जनवरी को हम गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
9. भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे।
10. भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अद्याय एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।
11. नई व्यवस्था के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।
12. मूल संविधान में सात मौलिक आधिकार प्रदान किए गए थे।
13. 44 वें संविधान संसोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
14. **मौलिक अधिकार -**

(i) समानता का आधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक)
(ii) स्वतन्त्रता का आधिकार (अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक)
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 – अनुच्छेद 24)
(iv) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक)
(v) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी आधिकार (अनुच्छेद 29 – अनुच्छेद 30)
(vi) संवैधानिक उपचारों का आधिकार (अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक)

15. वर्तमान में केवल छः मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं।

16. संविधान में प्रथम संसोधन 1951 में हुआ था।

17. सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हे मानव अधिकार कहते हैं।

18. वर्ष 2002 में संविधान के 86 वें संसोधन द्वारा अनुच्छेद 21क में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।

19. संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ( R.T.E. एक्ट - 2009) पारित किया गया है।

20. राष्ट्रीय बाल ~~आयोग~~ अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है।

21. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है।

22. बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं।

23. कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

24. मूल कर्त्तव्य संविधान में 42 वें संसोधन द्वारा वर्ष 1976 में केवल भारतीय नागरिकों के लिए जोड़े गये हैं।

25. वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।

26. पूरा विश्व 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है।

27. भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

28. गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है।

# व्यवस्थापिका (कानून बनाना)

1. हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात् इंडिया 'राज्यो का संघ' (Union of States) होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है।

2. संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं-
   (i) संघ सूची (Union List)
   (ii) राज्य सूची (State list)
   (iii) समवर्ती सूची (Concurrent list)

3. प्रत्येक सरकार के तीन अंग होते हैं चाहे वह सरकार केन्द्र की हो या राज्य की। ये तीन अंग है -
   (i) व्यवस्थापिका
   (ii) कार्यपालिका
   (iii) न्याय पालिका

**Paras Jain**
**Chitrakoot**

4. संसद संघ सरकार की व्यवस्थापिका है जबकि विधानमंडल राज्य सरकार की व्यवस्थापिका है।

5. भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है।

6. लोकसभा संसद का 'निम्न सदन' है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

7. लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं।

8. लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि (80) उत्तर प्रदेश से आते हैं।

9. लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है।

10. लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए तथा दोनो अधिवेशनों के बीच छः महीने से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

11. लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्य सभा के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

Paras Jain

12. राज्य सभा संसद का उच्च सदन ( Upper House) है।

13. राज्य सभा सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

14. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है। इसीलिए इसे 'स्थाई सदन' कहा जाता है।

15. एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है।

16. भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्य की कार्यवाही का संचालन करता है।

17. धन से संबध रखने वाला विधेयक लोकसभा में ही प्रारम्भ किया जा सकता है। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है।

18. वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं।

19. संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलन जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे विधेयक ( Bill) कहते हैं। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं – साधारण विधेयक तथा धन विधेयक

20. साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है।

21. जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं।

22. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनो सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है।

23. हमारे प्रदेश (उत्तर प्रदेश) की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद् से मिलकर बनती है।

24. उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है।

25. वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या M.L.A. कहते हैं।

26. सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है परन्तु मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है।

27. उत्तर प्रदेश विधानपरिषद् में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

28. विधानपरिषद् एक स्थाई सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है।

29. हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है।

30.

| पद | न्यूनतम आयु |
|---|---|
| लोकसभा सदस्य (सांसद) → | 25 |
| राज्यसभा सदस्य → | 30 |
| विधानसभा सदस्य (विधायक) → | 25 |
| विधान परिषद् सदस्य (M.L.C.) → | 30 |
| राष्ट्रपति → | 35 |
| उपराष्ट्रपति → | 35 |

# कार्यपालिका ( कानून लागू करना )

Paras Jain
Chitrakoot

1. सरकार का वह अंग जो नियमों, कानूनों को लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है।
2. कार्यपालिका, विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है।
3. संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
4. समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परन्तु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं।
5. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं –
   (i) संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य
   (ii) राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
6. राष्ट्रपति का कार्यकाल पॉच वर्ष होता है लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यू होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
7. यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
8. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है।
9. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बँटवारा करता है।
10. राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
11. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।

12. राष्ट्रपति मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दण्ड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है।

13. भारत का उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते है।

14. उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

15. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है।

16. उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है।

17. यदि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न रहें तो राष्ट्रपति के पद का कार्य उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा।

18. राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से छः माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

19. मंत्रिपरिषद् के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद् और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हे हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

20. हमारे प्रदेश (उत्तर प्रदेश) की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनती है।

21. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

22. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

23. राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है।

# न्यायपालिका (न्याय प्रदान करना)

Paras Jain Chitrakoot

1. भारत में न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित है। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय होता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मानने होते हैं।
3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय है।
4. भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है।
5. यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।
6. उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है।
7. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं।
8. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है।
9. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है। संवैधानिक पीठ में कम-से-कम 5 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य है।
10. उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 25 उच्च-न्यायालय हैं।
11. उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं।

12. जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है।

13. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

14. लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किये गए मामलों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है।

15. परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है।

16. उपभोक्ता अदालतें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता शोषण की स्थिति में शिकायत दर्ज करवा सकता है। आप ऑनलाइन भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

17. जनहित याचिका, भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमें का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओ से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायलय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।

18. 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (P.I.L) की व्यवस्था लागू की। Public Interest Litigation

19. जनहित याचिका प्रारम्भ करने का श्रेय जस्टिस पी० एन० भगवती को जाता है।

20. जनहित याचिका के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है।

21. एफ. आई. आर. (F.I.R.) का पूरा नाम First Information Report है। (मौके की पहली रपट)

22. F.I.R. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है।

23. F.I.R. के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर 'स्टेशन हाउस रजिस्टर' में दर्ज होना चाहिए।

24. यदि कोई थानेदार F.I.R. नही दर्ज करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। वह डाक से भी रपट भेज सकता है या कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन F.I.R. भी दर्ज करा सकता है।

25. एफ. आई. आर दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति ले लेनी चाहिए।

26. मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएँ बनाना आदि मामले फौजदारी मामले है।

27. जमीन जायदाद के मामले, दीवानी मामले होते हैं।

28. फौजदारी मामले में जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सजा अवश्य मिलेगी।

29. सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सजा नहीं होती। (दीवानी मामले)